"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 208] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मई 2013—ज्येष्ठ 1, शक 1935

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2013

अधिसूचना

क्रमांक 1730/747/2013/19/तक-4.—भारतीय पथकर अधिनियम,1851 (1851 का सं. 8) जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 941/3243/06/19-तक, दिनांक 05-02-2007 को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा, बिलासपुर जिले में रतनपुर-मंझवानी-केंदा-केंवची मार्ग के कि.मी. 39/10 पर स्थित जावस पुल पर पथकर वसूली दिनांक 23-05-2013 से समाप्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 22 मई 2013

क्रमांक 1730/747/2013/19/तक-4.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1730/747/2013/19/तक-4 दिनांक 22-05-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 22nd May 2013

NOTIFICATION

No. 1730/747/2013/19/T-4.—In exercise of the power conferred by Section 2 read with Section 4 of the Indian Tolls Act, 1851 (No. viii of 1851), in its application to the state of Chhattisgarh, the State Government, in supersession of Department Notification No. 941/3243/06/19-Tech, Dated 05-02-2007, hereby, stops the levy of toll on Javas bridge located at 39/10 km. of Ratanpur-Manjhwany-Kendha-Kevnchi Road in Bilaspur District, with effect from 23-05-2013.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
J. M. LULU, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.